बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्–विशेषज्ञ संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023 के अन्तर्गत विधि पदाधिकारी के पद पर नियोजन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम (सिलेबस) निर्धारण हेतु आहूत बैठक का वृत।

बैठक की तिथि एवं समयः 27.09.2023 को अपराह्न 4:00 बजे।
बैठक स्थलः पर्षद् का संवाद कक्ष।

बैठक में पाठ्यक्रम (सिलेबस) कमिटि के निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया:–

1) श्री ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव, विशेष सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना;
2) श्री हृषिकेश मनु, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि (इन्वायरमेंटल लॉ), चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना;
3) श्री कुमार गौरव, असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि (इन्वायरमेंटल लॉ), चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, मीठापुर, पटना; एवं
4) श्री एस0 चन्द्रशेखर, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना।

बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को पर्षद् के सदस्य सचिव द्वारा स्वागत् किया गया तथा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्–विशेषज्ञ संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023 के विभिन्न प्रावधानों के प्रसंग में सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। विधि पदाधिकारी पद के उम्मीदवार के पास शैक्षणिक योग्यता–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एल.एल.बी. की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही बार काउंसिल के साथ पंजीकृत कानूनी व्यवसायी के रूप में कम से कम पाँच साल का अनुभव होना चाहिए, अदालत/सरकारी/पी.एस.यू./विश्वविद्यालय में काम करने वाले को विधि अधिकारी पद के लिए प्राथमिकता दी जाएगी यथा समय–समय पर संबंधित पद के लिए पर्षद् द्वारा अधिसूचित किया जाएगा (A candidate must hold a LLB degree from recognized university with minimum five years experience as legal practitioner registered with Bar Council, working in the court/in Government/PSU/University will be preferred for the post of Law Officer, as notified by the Board for the respective post from time to time)।

विधि पदाधिकारी के पद पर नियोजन हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन के लिए पाठ्यक्रम (सिलेबस) इत्यादि निर्धारण हेतु उपस्थित सदस्यों से विस्तृत विमर्श हुआ एवं उनसे सुझाव आमंत्रित किया गया।

पाठ्यक्रम (सिलेबस) कमिटि के सदस्यों द्वारा विधि पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम को निम्नवत् अनुमोदन हेतु सहमति दी गयी:–

1. लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का कुल पूर्णांक–400 अंकों की निम्नरूपेण दो पत्रों के होंगे:–

Subject विषय	Duration अवधि	No. of Objective & Multiple Choice Question वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या	Marks अंक	Negative Marking ऋणात्मक अंकन
Paper-I (Total-100 Marks) प्रश्न पत्र–I (कुल–100 अंक) **General Knowledge:-** (Including knowledge of current events)-The paper will also include question of Indian History, Culture and Geography of a nature, which candidates should be able to answer without special study. सामान्य ज्ञान:– सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं की जानकारी सहित)–इस पत्र में भारतीय	2 hrs. दो घंटे	75	75	(i) There are four alternative answers for the answers to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.

इतिहास एवं संस्कृति तथा भूगोल के भी ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनका उत्तर उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन के ही दे सकते है। **General aptitude:-** Fill in the blanks, Verbal Reasoning, Logical Reasoning, Grammar. सामान्य कौशल:–रिक्त स्थानों को भरना, मौखिक तर्क, तार्किक तर्क, व्याकरण। **Knowledge of Computer Operation:-** Introduction of Computer, Operating System, Computer Network, Computer Devices, Windows, Microsoft Office, MS Word, MS Excel, MS Power Point, Applications of Internet like: e-mail and browsing, Various browsers, Hyperlinks etc. कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान:– कम्प्यूटर का परिचय, कम्प्यूटर सिस्टम की आधारभूत जानकारी, कम्प्यूटर नेटवर्क, कम्प्यूटर उपकरण, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम एस वर्ड, एम एस एक्सल, एम एस पॉवर प्वाइंट, इंटरनेट के अनुप्रयोग जैसे: ई–मेल और ब्राउजिंग, विभिन्न ब्राउजर, हाइपरलिंक आदि। **Elementary General Science:-** A paper of questions to test such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. प्रारम्भिक सामान्य विज्ञान:–इस पत्र में दैनिक संप्रेक्षण और अनुभव के ऐसे विषयों के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रश्न पूछे जायेंगे, जिनके संबंध में आशा की जा सकती है कि किसी वैज्ञानिक विषय पर विशेष अध्ययन किए बिना ही किसी भी शिक्षित व्यक्ति को उसकी जानकारी रह सकती है।		25	25	प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गये गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंको का एक तिहाई (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा। (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happen to be correct and there will be same penalty as above for that question. यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों न हो और उस प्रश्न के लिए वही दंड होगा जो ऊपर बताया गया है। (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question. यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।
Paper-II प्रश्न पत्र–II Environmental Law (100 Marks) पर्यावरण कानून (100 अंक) 1. Basic Understanding of Environmental issues-Meaning of Environment and complexity of environmental governance. पर्यावरणीय मुद्दों की बुनियादी समझ–पर्यावरण का अर्थ और पर्यावरण शासन की जटिलता। 2. Constitutional Dimensions of Environment: Right to Wholesome Environment: Evolution and Application, Relevant Provisions: Art., 14, 19	2 hrs. दो घंटे	100	300	(i) There are four alternative answers for the answers to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate, one-third (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा

(1) (g), 21, 48-A, 51-A (g), Public Interest Litigation & Environment Protection. पर्यावरण के संवैधानिक आयाम: स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार: विकास और अनुप्रयोग, प्रासंगिक प्रावधान: अनुच्छेद, 14, 19 (1) (जी), 21, 48–ए, 51–ए (जी), जनहित याचिका और पर्यावरण संरक्षण। 3. The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974. 4. The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981. 5. The Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1983. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1983. 6. The Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1986. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली, 1986. 7. The Water (Prevention and Control of Pollution) (Consent Fee) Bihar Rules, 1984. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) (सहमति शुल्क) बिहार नियमावली, 1984. 8. The Environmental (Protection) Act, 1986. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986. 9. The Environmental (Protection) Rules, 1986. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986. 10. The Hazardous and Other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापारीय संचलन) नियम, 2016. 11. The Plastic Waste Management Rules, 2016. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016. 12. The Bio-Medical Waste Management Rules, 2016. जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016. 13. The Solid Waste Management Rules, 2016. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016.				प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गये गलत उत्तर के लिए, उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंको का एक तिहाई (0.33) दंड के रूप में काटा जाएगा। (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happen to be correct and there will be same penalty as above for that question. यदि उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो उसे गलत उत्तर माना जाएगा चाहे दिए गए उत्तरों में से एक ठीक ही क्यों न हो और उस प्रश्न के लिए वही दंड होगा जो ऊपर बताया गया है। (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question. यदि प्रश्न को खाली छोड़ दिया गया है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

14. The Bihar (Procedure for Immersion of Idol after Puja) Rules, 2021.
    बिहार (पूजा के उपरान्त मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया) नियमावली, 2021.
15. The E-Waste (Management) Rules, 2022.
    ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022.
16. The Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
    निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016.
17. The Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical (Amendment) Rules, 2000.
    परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात (संशोधित) नियम, 2000.
18. The Battery Waste Management Rules, 2022.
    अपशिष्ट बैटरी प्रबंधन नियम, 2022.
19. The Public Liability Insurance Act, 1991 and Rules 1991.
    लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 एवं नियम, 1991.
20. The Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.
    ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000.
21. The Biological Diversity Act, 2002.
    जैव विविधता अधिनियम, 2002.
22. Bihar Biological Diversity Rules, 2017.
    बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017.
23. Various notifications and guidelines issued under the Environment (Protection) Act & Rules.
    पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और नियमों के तहत जारी विभिन्न अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश।
24. National Green Tribunal: Constitution and Powers & functions.
    राष्ट्रीय हरित अधिकरण: संविधान और शक्तियाँ एवं कार्य।
25. Law Related to Forests and Wild life.
    वन एवं वन्य प्राणी संबंधी कानून।
26. United Nation's organizations for the issues of global warming and climate change.
    ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के लिए संयुक्त राष्ट्र के संगठन।

<u>Procedural Laws</u> (100 Marks)
<u>कार्यविधिक कानून</u> (100 अंक)।

1. Basic procedures, Nuisance procedures under Criminal Procedure Code (Cr.P.C) and Code of Civil Procedure (CPC). Substantive and Procedure Law, Indian Penal Code, Code of criminal procedure.
   बुनियादी प्रक्रियाएं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआर. पी. सी.) के तहत अपदूषण/उपद्रव प्रक्रियाएं एवं सिविल प्रक्रिया संहिता। मूल और प्रक्रिया कानून, भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता।
2. Indian Evidence Act (I.E.A.).
   भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
3. Limitation Act.
   परिसीमा अधिनियम।
4. Civil Procedure.
   सिविल प्रक्रिया।

<u>Others Laws</u> (100 Marks)
<u>अन्य कानून</u> (100 अंक)।

1. Constitutional Law.
   संवैधानिक विधि।
2. Fundamental Right; Directive Principles and their Relationship with Fundamental Right; Fundamental Duties.
   मूल अधिकार; निदेशक तत्व तथा मूल अधिकारों के साथ उनका संबंध; मूल कर्त्तव्य।
3. Right to Equality.
   समता का अधिकार।
4. Right to Freedom of Speech and Expression.
   वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्रय का अधिकार।
5. Right to Life and Personal Liberty.
   प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
6. Principles of Natural Justice.
   नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत।
7. Nature of tortuous liability.
   अपकृत्य दायित्व की प्रकृति।
8. Liability based upon fault and strict liability.
   त्रुटि पर आधारित दायित्व तथा कठोर दायित्व।
9. Statutory liability.
   स्टैट्यूटरी दायित्व।
10. Vicarious liability.
    प्रत्यायुक्त दायित्व।
11. Joint Tort-feasors.
    संयुक्त अपकृत्य कर्त्ता।
12. Remedies.
    उपचार।
13. Negligence.
    अपेक्षा।
14. Occupier's liability and liability in respect of structures.

अधिष्ठाता का दायित्व और संरचनाओं के बारे में उसका दायित्व। 15.Absolute Liability. पूर्ण दायित्व। 16.General Defenses under law of Torts. अपकृत्य विधि के तहत सामान्य सुरक्षा। 17.Right to Information and Media Law. सूचना का अधिकार एवं मीडिया विधि। 18.Alternate Dispute Resolution. वैकल्पिक विवाद समाधान। 19.Labour and Industrial Law. श्रम और औद्योगिक विधि। 20.Service Laws. सेवा विधि। 21.Information and Technology Law. सूचना और तकनीक विधि। 22.Law of Contract. संविदा विधि। 23.Law of Taxation. कराधान विधि। 24.Company Law. कंपनी विधि। 25.Drafting, Pleading and Conveyance. प्रारूपण, अभिवचन और संप्रेषण।				

2. मौखिक जाँचः–लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को मौखिक जाँच हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मौखिक जाँच के लिए 50 अंक निर्धारित होंगे।

श्री एस0 चन्द्रशेखर, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापण के बाद बैठक समाप्त की गयी।

13/10/23	Hrishikesh Manu 13/10/23	13.10.2023
(कुमार गौरव)	(हृषिकेश मनु)	(ज्योतिस्वरूप श्रीवास्तव)
असिस्टेंट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर,	विशेष सचिव–सह–अपर विधि परामर्शी
चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	चाणक्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	विधि विभाग, बिहार
पटना	पटना	पटना

13/10/23
एस0 चन्द्रशेखर
सदस्य सचिव
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
पटना

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, परिवेश भवन, पाटलीपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र, पटना

ज्ञापांकः 2555 पटना, दिनांकः 25.10.23

प्रतिलिपिः सिलेबस कमिटि के सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

20/10/23
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य सचिव